Date : / /
Page : ____

APR 2026

प्रति
अध्यक्ष महोदय जी
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

विषय:- विद्युत बिल में सुधार हेतु !

महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि सोमनी उप संभाग के अन्तर्गत बघेरा ग्राम में प्रमोद सिंह रघुवंशी के नाम से कृषि पंप हेतु विधिवत विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है जिसका उपभोक्ता क्र. 1006018708 है। कुछ माह पूर्व उक्त परिसर में सतर्कता द्वारा जांच कर मुझे 233481 रु का बिल सोमनी कार्यालय द्वारा भेजा गया है जो न्याय संगत नहीं है।

महोदय जी जिस समय सतर्कता ने परिसर का जांच किया गया संबंधित ट्रांसफार्मर खराब था जिसकी मौखिक सूचना मेरे द्वारा लाईनमेन व कनिष्ठ अभियंता को दिया गया था ट्रांसफार्मर से सिर्फ 01 फेस सप्लाई ही चालू थी, परिसर के आस पास कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं तथा वहां के लेबर (चूंकि मेरा कनेक्शन 03 फेस का है) कार्य करने वाले लोग पेयजल या अन्य

कार्य के लिए अपना सब्लाई अल्वाई रूप
जोड़ दिए थे बिजली न मुझे जानकारी
न ही मेरे द्वारा अनुमति लिया गया
इसके द्वारा कनेक्शन जोड़ने के दो या
तीन दीन बाद सतर्कता ने अपनी कार्य
कर बिल भेजा गया है।

महोदय उक्त प्रकरण मेरे द्वारा
किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की
गई है इसलिए श्रीमती उपविभाग द्वारा
जारी बिल (क्र. 2374481) माफ करने की
असीम कृपा करें।

धन्यवाद

दिनांक 15/04/21.

प्रमोद कुमार रघुवं
ग्रा: बघेरा
खाता - 1006018708

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

क्रमांक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव /36

राजनांदगॉव दिनॉक : 20 /04/2026

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विषय : आवेदक श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी, ग्राम झुराडबरी, घुमका, बी.पी.नं. 1006018708 (छ.ग.) के संबंध में।

संदर्भ : सहायक अभियंता (उपसंभाग) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., सोमनी का पत्र क्रमांक 887 दिनांक 08.12.2025.

'-0-'

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत हो कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव क्षेत्र की स्थापना की गयी है। सहायक अभियंता (उपसंभाग) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., सोमनी के द्वारा उपभोक्ता का शिकायत पत्र इस फोरम में प्रेषित किया गया है। संबंधित शिकायत पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी, ग्राम झुराडबरी, घुमका, (छ.ग.) के बी.पी. नं. 1006018708 में स्थापित कृषि कनेक्शन के देयक राशि रू.2,37,481/- की जांच कर तथा निराकरण कर शीघ्र निराकरण कर उपभोक्ता को सूचित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को लिखित में अवगत करावें।

संलग्न : 1 नग शिकायत एवं दस्तावेज।

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

कार्यालय– सहायक अभियंता (उपसंभाग)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, सोमनी

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक सहा. अभि/राजस्व / 370 सोमनी, दिनांक 25.05.26

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन राजनांदगांव (छ.ग.)

विषयः– **श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी/वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी ग्राम– झुराडबरी प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25/05/2026 के संबंध में ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, सतर्कता जांच राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 21/05/2025 को उपभोक्ता श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी ग्राम – झुराडबरी की परिसर में जांच किया गया है । जांच करने पर पाया गया कि, उपभोक्ता के द्वारा कृषि पंप कनेक्शन से 26281 वॉट का घरेलू उपयोग करते पाया गया है ।

अतः कंपनी के नियमानुसार बिलिंग कर उपभोक्ता को डिमांक राशि जारी किया गया है जिसे संलग्न कर आवश्यक दस्तावेज के साथ आपकी ओर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सहायक अभियंता (उपसंभाग)
छ0रा0वि0वि0कं0लि0, सोमनी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/विउशिनिफोराज./2026/53 राजनांदगांव दिनांक 17/06/2026

प्रति,

01. श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी,
ग्राम झुराडबरी, घुमका
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **विद्युत बिल में सुधार हेतु।**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषयः– विद्युत बिल में सुधार हेतु ।

श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी, ...आवेदक
ग्राम झुराडबरी, घुमका, राजनांदगांव (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 17/06/2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 15.04.2026 यह है कि निवदेन है कि सोमनी उपसंभाग के अंतर्गत बघेरा ग्राम में प्रमोद सिंह रघुवंशी के नाम से कृषि पंप हेतु विधिवत विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है जिसका उपभोक्ता क्रमांक 1006018708 है कुछ माह पूर्व उक्त परिसर में सतर्कता द्वारा जांच कर मुझे 237481 रू0 का बिल मुझे सोमनी कार्यालय द्वारा भेजा गया है जो न्याय संगत नहीं है ।

महोदय जी जिस समय सतर्कता ने परिसर का जांच किया गया संबंधित ट्रांसफार्मर खराब था जिसकी मौखिक सूचना मेरे द्वारा लाईन मेन व कनिष्ठ अभियंता को दिया गया था, ट्रांसफार्मर से सिर्फ 01 फेस सप्लाई ही चालू थी, परिसर के आस–पास कई निर्माण कार्य चल रहे है तथा वहा के लेबर । चूँकि मेरा कनेक्शन 03 फेस का है, कार्य करने वाले लोग पेयजल या अन्य कार्य के लिए अपना सप्लाई अस्थाई रूप से जोड़ दिए थे जिसकी न मुझे जानकारी थी न ही मेरे द्वारा अनुमति लिया गया था इनके द्वारा कनेक्शन जोड़ने के दो या तीन दिन बाद सतर्कता ने अपनी कार्यवाही कर बिल भेजा गया है ।

महोदय उक्त प्रकरण मेरे द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नही की गई है इसलिए सोमनी उपसंभाग द्वारा जारी बिल (रू0 237481) माफ करने की असीम कृपा करें ।

2. यह कि उत्तरवादी प्रतिनिधि सहायक अभियंता उपसंभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., सोमनी ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 370 दिनांक 25.05.2026 को सूचित किया कि :–

यह कि सतर्कता जांच राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 21.05.2025 को उपभोक्ता श्री प्रमोद कुमार रघुवंशी, ग्राम झुराडबरी की परिसर में जांच किया

गया है । जांच करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के द्वारा कृषि पंप कनेक्शन से 26281 वॉट का घरेलू उपयोग करते पाया गया है ।

अतः कंपनी के नियमानुसार बिलिंग कर उपभोक्ता को डिमांड राशि जारी किया गया है जिसे संलग्न कर आवश्यक दस्तावेज के साथ आपकी ओर प्रेषितं है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 25.05.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि ग्राम झुराडबरी, घुमका, जिला राजनांदगांव स्थित आवेदक के परिसर में आवेदक के नाम पर 05 अश्वशक्ति भार का, एल.व्ही.–3 टैरिफ श्रेणी का, कृषि पंप विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1006018708 के माध्यम से अनावेदक द्वारा प्रदाय किया गया है ।

4. यह कि दिनांक 21.05.2025 को कार्यपालन अभियंता (सतर्कता), राजनादगांव द्वारा आवेदक के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण किया गया । जांच के दौरान सतर्कता दल द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी । स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मे सतर्कता दल द्वारा यह टिप्पणी दर्ज की गयी है कि "उपभोक्ता परिसर में लगे स्थायी कृषि पंप कनेक्शन से 26281 वाट का भार घरेलू उपयोग करते हुए पाया गया । उक्त परिसर में किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हो रहा है ।" सतर्कता दल की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उत्तरवादी द्वारा यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा अपने कृषि पंप कनेक्शन से विद्युत का उपयोग अनाधिकृत तरीके से घरेलू उपयोग के किया जा रहा था, जांच तिथि के पूर्व की एक वर्ष की अवधि की पूरक देयक राशि रू. 237481.00 की बिलिंग करते हुए पूरक राशि का मांग पत्र आवेदक को प्रेषित किया गया । आवेदक द्वारा उत्तरवादी की इस कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण, मानते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5. यह कि सतर्कता जांच के दौरान अपने कृषि पंप श्रेणी के विद्युत कनेक्शन से 27 कि.वा. भार घरेलू उपयोग किया जाना पाए जाने पर उत्तरवादी द्वारा जांच दिनांक के पूर्व की एक वर्ष की अवधि के लिए की गयी, पूरक देयक राशि की बिलिंग से असंतुष्ट होकर एवं उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पूरक देयक राशि को निरस्त किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

6. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 370 दिनांक 25.05.2026 के माध्यम से प्रस्तुत जवाबदावा में लेख किया गया है कि दिनांक 21.05.2025 को सतर्कता

दल द्वारा आवेदक के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शंन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उपभोक्ता, अपने कृषि पंप कनेक्शन से 26281 वाट घरेलू उपयोग करते पाया गया। नियमानुसार पूरक देयक तैयार कर आवेदक को प्रेषित किया गया है जो कि सही एवं आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है।

7. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदक के कनेक्शन की जांच पश्चात तैयार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों से आवेदक द्वारा अपने परिसर में विद्युत का अनाधिकृत उपयोग किया जाना एवं तद्नुसार प्रकरण का विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 126 के अंतर्गत होना दर्शित होता है।

ब. यदि हां तो क्या प्रस्तुत प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

8. यह कि सप्लाई कोड की कंडिका 11.8(4) के अनुसार Unauthorized use of electricity shall mean the usage of electricity - "for a purpose other than for which the usage of electricity has been authorized."

सतर्कता दल द्वारा तैयार किए गए स्थल निरीक्षण प्रपत्र में दर्ज टीप से आवेदक द्वारा कृषि पंप कनेक्शन का उपयोग घरेलू श्रेणी के कार्य हेतु किया जाना दर्शित होता है जो कि सप्लाई कोड की कंडिका 11.8(4) के अनुसार विद्युत के अनाधिकृत उपयोग एवं तद्नुसार भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत आता है।

9. यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 में "Limitations/Pre-conditions for submission of grievances" शीर्षक के अंतर्गत कंडिका 8.9 यथा "A complainant shall not be entitled to approach the forum in any of the following cases –

(i) In cases where proceedings in respect of the same matter and between the same complainant and the licensee, are pending before any Court, Tribunal, Arbitrator or any other authority, or a decree or award or a final order has already been passed by any such Court, Tribunal, Arbitrator or Authority.

(ii) In cases which fall under **section 126**,127,135 to 139,152 and 161 of the Act.

(iii) Grievances which are-

a) Frivolous,vexatious,mala-fide

b) Without any sufficient cause

c) There is no prima facie loss or damage or inconvenience caused to the complainant. "

की उपकंडिका (ii) के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं ।

10. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण "Civil appeal No.5466 of 2012, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध अनीस अहमद," में दिए गए निर्णय दिनांक 01.07.2013 की कंडिका 47(ii) यथा

"A complaint against the assessment made by assessing officer under section 126 or against the offences committed under section 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer forum."

के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए राशि निर्धारण के विरूद्ध प्रकरण की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

11. यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 में "Limitations/Pre-conditions for submission of grievances" शीर्षक के अंतर्गत दर्ज कंडिका 8.9(ii) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण "Civil appeal No.5466 of 2012, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध अनीस अहमद," में दिए गए निर्णय की कंडिका 47(ii) के अनुसार फोरम, प्रस्तुत प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में न मानते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करता है ।

12. यह कि फोरम, आवेदक को सलाहित करता है कि, अस्थायी/अंतिम निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी पूरक देयक के विरूद्ध यदि चाहे तो सप्लाई कोड की कंडिका 11.21 एवं 11.22 के अनुसार अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

13. आदेश पारित ।

14. प्रकरण निराकृत ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

15. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव